

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रतनलाल बनाम मुन्नाराम आदि

दावा बाबत :- 88, 89 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 250/2021

निर्णय दिनांक :- 21.10.2021

वादी की ओर से वकील मुन्नाराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 की ओर से वकील सुरेश शील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21-10-21 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्री 1, 2, 3 के खाता सं. 47/45 के खाता सं. 35/1 की 3-525 हे०, खाता सं. 208/2 की 1-783 हे०, खाता सं. 243/3 की 0-354 हे० कुल 5-662 हे० वारानी ह्यमि मुनि प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में पंज है में से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमिजन किया जाकर वादी रतनलाल व प्रतिवादी सं. 2 सुरेश को संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 को 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 मुन्नाराम कुमार व प्रतिवादी सं. 7 कविता को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार का प्रकार घोषित किया जाते है। यकि प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2, 5, 6, 7 के पक्ष में त्याग कर अन्य कर लिपि है इसीलिए त्याग किम गये हिस्से पर पंजीपन विभागा को देई पंजीपन मुक्त एवं स्याम उपुरी अदा करने व यदि ह्यमि मुनि किसी लोक के रदन हो तो रदन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में आपन दरमय किम जाय। राजीनामा को डिक्री का अंगगणित

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-10-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) प्रशा. के संग अ-2021 भादरा, जिला हनुमानगढ़